

5.8.98

किस,

सुभाष चन्द्र त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ० प्र० गानना।

Reg No

File No

Serial No

098

IV-2670

19

Report 78

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

5-098 & 5-098
5.8.98

लखनऊ:

दिनांक:

16 जुलाई, 1998

विषय:

श्री सुनील कुमार मिश्र सिविल जज।जू. डि.। कन्नौज कर्खाबाद केबल निर्धारण,
पूर्व सेवा की गाना तथा अर्जित अवकाश जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० उच्च न्यायालय के पत्र सं० 6830/चार-2670/प्रशा०।रा।
दिनांक 5.5.97 के तन्दी में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सुनील कुमार मिश्र,
सिविल जज।जू. डि.।, कन्नौज, कर्खाबाद न्यायिक सेवा में आने से पूर्व जनबद मुरादाबाद में
तहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 27.4.1991 से 15.4.96 तक कार्यरत रहे।
सातवर्षाव उनके द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 16.4.96 को कार्यभार ग्रहण किया
गया। इस प्रकार, श्री मिश्र की पूर्व एवं वर्तमान सेवा में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है
अतः श्री मिश्र की पूर्व सेवा गाना सी०एस्०आर० के नियम 370 के अधीन स्वतः की जायेगी।
चूंकि सी०एस्०आर० के नियम-4 के अधीन पेंशन का दावा सेवा निवृत्ति के समय लागू पेंशन
नियमों के अनुसार विनियमित होता है, अतः उनकी पूर्व सेवा की सेवापुस्तिका वर्तमान सेवा
पुस्तिका के साथ सम्बद्ध करने का कष्ट करें।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2
से 4 के नियम-22 बी के अन्तर्गत निहित व्यवस्थानुसार श्री मिश्र का वेतन निर्धारण किया
जायेगा तथा श्री मिश्र द्वारा पूर्व में की गई सेवा राज्य सरकार के अधीन की गई है अतः
श्री मिश्र की पूर्व सेवा का अर्जित अवकाश भी वर्तमान सेवा में जोड़े जाने में कोई आपत्ति नहीं
है।

3. श्री मिश्र की पूर्व एवं वर्तमान सेवा की सेवा-पुस्तिकायें संलग्न करे वापस की जा
रही हैं। कृपया इनकी प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

सुभाष चन्द्र त्रिवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या-692111/दो-4-98 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड,
इलाहाबाद।
2. जिला जज, कर्खाबाद।
3. श्री सुनील कुमार मिश्र, सिविल जज।जू. डि.।, कन्नौज।कर्खाबाद।

आज्ञा से,

सुभाष चन्द्र त्रिवेदी
संयुक्त सचिव

R. 872
1/3/89
74-A/3-89

सेवा में,

नियुक्ति अनुभाग-4

SoAd(A-11M)

3/8/98

3

Sr. (M)

- 3 AUG 1998

an RKM
re
710